

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

दिनांक :- 12/05/23

कैम्प कोर्ट का स्थान.....क्या किया गया.....

—:: आदेश ::—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी क्या किया गया व भू-आभिलेख निरीक्षक सिधु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मकनडिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 84 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>मकनडिया</u>	<u>84</u>	<u>मेकलाल पुत्र पुत्र हिस्सा पूर्ण जानि जाट सा.रह खाते</u>	<u>मेकलाल पुत्र पुत्र हिस्सा पूर्ण जानि जाट सा.रह खाते</u>

(DR)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :- 07/05/23

क्रमांक/संख्या/2023/245

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपासन को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मेकलाल पुत्र पुत्र को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

(DR)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़